भारत सरकार का रूप पत्र

कार्यालयःजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,इटावा।

पत्रांकःव0स0/मान्यता/366-71 /2020–21 दिनांक 23-05-2020

प्रबन्धक
सेण्ट मेरी उच्च प्राथमिक स्कूल
सिविल लाइन,(नगरक्षेत्र),इटावा।

विषयः– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके तारीख **23.12.2019** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **सेण्ट मेरी उच्च प्राथमिक स्कूल सिविल लाइन,(नगरक्षेत्र),इटावा** को कक्षा–**06** से **08** तक **अंग्रेजी** माध्यम के लिए औपबंधिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवछित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009(उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉं प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी पंजीकरण,भवन तथा कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
(ii) किसी भी बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।
(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा नही की जायेगी।
(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किय गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 3007.12 वर्गमीटर
- कुल निर्मित क्षेत्रफल– 2647.18 वर्गमीटर,(बहुमंजिल)
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– 2115.44 वर्गमीटा
- कक्षाओं की संख्या– 06 से 08
- प्राध्यापक–सह कार्यालय सह–भंडागार के लिए कक्ष– 01–01
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– 02, 02
- पेयजल सुविधा– सबमर्सिबल पम्प टंकी सहित।
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– ——
- बाधारहित पहुँच– है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित/मान्यता कोड संख्या 366-71/23.5.2020 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार केलिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 11.01.2019 के क्रम में आप द्वारा मान्यता हेतु प्रेषित पत्रावली में उपलब्ध पत्राजातों तथा जाँच अधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक **29.02.2020** के आधार पर मान्यता समिति की बैठक दिनांक **19.05.2020** में लिये गये निर्णयानुसार उक्त मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप द्वारा प्रेषित पत्राजातों में यदि कोई भिन्नता/तथ्यगोपन पाया जाता है तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(अजय कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार–

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ0प्र0,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
2. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,कानपुर मण्डल,कानपुर।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी **नगरक्षेत्र**, इटावा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा।

भारत सरकार का रूप पत्र

कार्यालयःजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,इटावा।

पत्रांकःब0स0/मान्यता/602-07 /2020-21 दिनांक 01-6-2020

प्रबन्धक

सेण्ट मैरी प्राथमिक स्कूल

सिविललाइन,(नगरक्षेत्र),इटावा।

विषयः– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके तारीख **23.12.2019** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं **सेण्ट मैरी प्राथमिक स्कूल,सिविललाइन,(नगरक्षेत्र),इटावा** को कक्षा–**01** से **05** तक **अंग्रेजी** माध्यम के लिए औपबंधिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवछित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009(उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी पंजीकरण,भवन तथा कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षा नही की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किय गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– **4716.12 वर्गमीटर**

- कुल निर्मित क्षेत्रफल– 1378.98 वर्गमीटर,(बहुमंजिल)
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– 4256.46 वर्गमीटर
- कक्षाओं की संख्या– 01 से 05
- प्राध्यापक–सह कार्यालय सह–भंडागार के लिए कक्ष– 01–01
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– 03, 03
- पेयजल सुविधा– सबमर्सिबल पम्प टंकी सहित।
- मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई– —
- बाधारहित पहुँच– है।
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– है।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओ की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित/मान्यता कोड संख्या 602-07/01.6.2020 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार केलिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 11.01.2019 के क्रम में आप द्वारा मान्यता हेतु प्रेषित पत्रावली में उपलब्ध पत्राजातों तथा जॉच अधिकारी की निरीक्षण आख्या दिनांक **29.02.2020** के आधार पर मान्यता समिति की बैठक दिनांक **29.05.2020** में लिये गये निर्णयानुसार उक्त मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आप द्वारा प्रेषित पत्राजातों में यदि कोई भिन्नता/तथ्यगोपन पाया जाता है तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(अजय कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा।

<u>पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार–</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ0प्र0,शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
2. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,कानपुर मण्डल,कानपुर।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी **नगरक्षेत्र,** इटावा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इटावा।